उत्तर प्रदेश सरकार

सूचना अनुभाग–1

संख्या–905/उन्नीस–1–93–77/91

लखनऊ :: दिनांक 28 जुलाई, 1993

अधिसूचना

–प्रकीर्ण–

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग फिल्म फोटो यूनिट सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सूचना विभाग फिल्म फोटो यूनिट सेवा नियमावली, 1993

भाग–एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना विभाग फिल्म फोटो यूनिट सेवा नियमावली, 1993 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2.	उत्तर प्रदेश सूचना विभाग फिल्म फोटो यूनिट सेवा में समूह समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के पद समाविष्ट हैं।
परिभाषाएं	3.	जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :– (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से है ; (ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ; (ग) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है (घ) 'संविधान' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है (ङ) 'निदेशक' का तात्पर्य ''निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश'' से है ; (च) 'निदेशालय' का तात्पर्य निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से हैं; (छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(झ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;
(ञ) 'सेवा का तात्पर्य' उत्तर प्रदेश सूचना विभाग फिल्म फोटो यूनिट सेवा से है।

(ट) 'मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;
(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ;

भाग दो– सवंर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।
(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है ;
परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन– भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) फिल्म वितरण अधिकारी

चयन समिति के माध्यम से निम्नलिखित से पदोन्नति द्वारा;
(क) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त न्यूजरील कैमरा मैन और फोटो आर्टिस्ट जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(2) फिल्म अधिकारी (3) फोटो अधिकारी (4) फिल्म निर्माण प्रबन्धंक	कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (ख) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त फिल्म पुस्ताकलयाध्यक्ष और फोटो ग्राफर में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
(5) फिल्म पुस्ताकलयाध्यक्ष	चयन समिति के माध्यम से फिल्म सूचीकार और फोटो सूचीकार मे से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।
(6) न्यूजरील कैमरा मैन (7) फोटो ग्राफर	(क) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ख) 50 प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ न्यूजरील, कैमरा मैन और प्रयोगशाला प्रभारी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(8) फोटो आर्टिस्ट	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(9) फिल्म सूचीकार (10) फोटो सूचीकार	विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(11) कनिष्ठ न्यूजरील कैमरा मैन	(क) 50 प्रतिशत विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ब्रोमाइड प्रिन्टर्स में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा इस रूप में पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(12) प्रयोगशाला प्रभारी	मौलिक रूप से नियुक्त ब्रोमाइड प्रिन्टर्स में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(13) ब्रोमाइड प्रिन्टर्स	मौलिक रूप से नियुक्त प्रयोगशाला सहायक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम पदोन्नति द्वारा।
(14)प्रयोगशाला सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त कैमरा कुली और प्रयोगशाला परिचर में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(15) कैमरा कुली (16) प्रयोगशाला परिचर	विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

आरक्षण	6.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृति सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाय।

भाग चार– अर्हताएं

राष्ट्रीयता	7.	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक कि अभ्यर्थी ; (क) भारत का नागरिक हो ; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या (ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तागानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो ; परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो; परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें ; परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।
टिप्पणी		ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।
शैक्षिक अर्हताएं	8	सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :–

पद	**अर्हता:–**
(1) फिल्म सूचीकार (2) फोटो सूचीकार	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

		द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पुस्ताकलय विज्ञान में डिप्लोमा या उपाधि।
(3) न्यूजरील कैमरा मैन (4) फोटो ग्राफर		(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (दो) छायाचित्र और चलचित्र कैमरा परिचालन में 5 वर्ष का अनुभव और भार में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से छायाचित्र या चलचित्र फोटो ग्राफी (मूवी, मोशन पिक्चर्स फोटोग्राफी) में डिप्लोमा या उपाधि। (तीन) छायाचित्र या चलचित्र फोटोग्राफी (मूवी, मोशन पिक्चर्स फोटोग्राफी) में एक वर्ष का अनुभव
(5) फोटो आर्टिस्ट		(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कमर्शियल या ग्राफिक आर्ट में डिप्लोमा या उपाधि (तीन) किसी सरकारी, अर्धसरकारी या प्रतिष्ठित फर्म में आर्टिस्त के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। (चार) निगेटिव के फिनिशिंग और परिबंधन और ट्रान्सालाइट कलरिंग का ज्ञान।
(6) कनिष्ठ न्यूजरील कैमरा मैन		(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।? (दो) किसी सरकारी, अर्द्धसरकारी या प्रतिष्ठित फर्म में छायाचित्र और चलचित्र कैमरा (मूवी कैमरा) परिचालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव
(7) प्रयोगशाला परिचर (8) कैमरा कुली		(एक) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (दो) किसी फोटो प्रयोगशाला में तीन वर्ष का अनुभव होना आवयक है।
अधिमानी अर्हताएं	9.	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा। जिसने : (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
आयु	10.	सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष के जिसमें रिक्तियां विज्ञाप्ति की जाय प्रथम दिवस को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र 11 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके।

टिप्पणी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पर पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधर्मता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा मे किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह यथा स्थिति चिकित्सा परिषद/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वस्थता प्रमाण–पत्र पस्तुत करेः

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच– भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उनको दी जायेगी। विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधे भरी जाने वाली रिक्तियां सेवायोजना कार्यालय को अभिसूचित की जायेगी। नियुक्त प्राधिकारी

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

उन व्यक्तियों से सीधी भी आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकता है जिनके नाम सेवायोजना कार्यालय में पंजीकृत हो। नियुक्त प्राधिकारी इस प्रायोजन के लिए सूचना पट्ट पर नोटिस चिपकाने के साथ–साथ किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञापन भी जारी करेगा। ऐसे सभी आवेदन पत्रों को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्भव प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को, जितने वे पर्याप्त समझे और जो अपेक्षित अर्हयताएं पूरी करते हो साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयेगी सूची नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक विभागीय चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारीः

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति का जनजाति का न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी।

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का होगा और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग में उपलब्ध न हो तो ऐसे उपयुक्त अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण उसके द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे अधिकारी मंडलीय आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) नियम 14 के अधीन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को विभागीय

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। विभागीय चयन समिति समस्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, उतने अभयर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करेगी जो इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक पहुॅच सके हों।

(3) विभागीय चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयर करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो विभागीय चयन समिति उनके नाम, पदों के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, श्रेष्ठता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियां की संख्या से अधिक। किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक होगी। विभागीय चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसरित करेगी।

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधर पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

(एक) निदेशक	अध्यक्ष
(दो) निदेशक द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले निदेशालय के दो अधिकारी जो उपनिदेशक से निम्नस्तर के न हों।	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियॉ उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। परन्तु इस उपनियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करते समय जहॉं दो या अधिक भिन्न पोषक संवर्ग हो वहॉंः–

(क) भिन्न वेतनमान होने पर उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा,

(ख) समान वेतनमान होने पर, अभ्यर्थियों के नामों को अपने–अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के क्रम में पात्रता सूची में रखा जायेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 18 यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हैं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों नामों को सुसंगत सूचियों से लेकर इस प्रकार रखा जायेगा कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

भाग—छः —नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 19. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें वे, यथास्थिति, नियम 15 या 16 या 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों वहॉ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायं तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा 20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हैं तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 21 (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहॉ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहॉ उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 22 किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान 23 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहें मौलिक या स्थानापन्न रूप से या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है। परिशिष्ट में दिये गये हैं।

क्र. पद का नाम वेतनमान

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

सं.		
1.	फिल्म वितरण अधिकारी	2000–60–2300–द0रो0–75–3200 रूपये
2.	फिल्म अधिकारी	–तदैव–
3.	फोटो अधिकारी	–तदैव–
4.	फिल्म पुस्तकालयाध्यक्ष	1400–40–1800–द0–रो0–50–2300 रूपये
5.	न्यूजरील कैमरामैन	1400–40–1600–50–2300–द0–रो0–60–2600 रूपये
6.	फोटाग्राफर	1400–40–1600–50–2300–द0रो0–60–2300 रूपये
7.	फोटो आर्टिस्ट	1400–40–1800–द0रो0–50–2400 / 1400–40–1600–50–2300–द0रो0–60–2600 रूपये
8.	कनिष्ठ न्यूजरील कैमरामैन	1200–20–1560–द0रो0–40–2040 रूपये
9.	प्रयोगशाला प्रभारी	–तदैव–
10.	ब्रोमाइड प्रिंटर	975–25–1150–द0रो0–30–1660 रूपये
11.	प्रयोगशाला सहायक	825–15–900–द0रो0–14–940 रूपये
12.	कैमरा कुली	750–12–870–द0रो0–14–940– रूपये
13.	प्रयोगशाला परिचर	–तदैव–
14.	फिल्म सूचीकार	1200–30–1560–द0रो0–40–2040 रूपये
15.	फोटो सूचीकार	–तदैव–
16.	फिल्म निर्माण प्रबन्धक	2000–60–2300–द0रो0–75–3200 रूपये

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24 (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रूल द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड — 25 — किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन — 26 — किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन — 27 — ऐसे विषयों के सम्बंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

सेवा की शर्तो से शिथिलता — 28 — जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;

परन्तु जहॉ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहॉ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति 29 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट
नियम 4 (2) देखिये
फिल्म फोटो यूनिट की सदस्य संख्या

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1	2	4	5	6
1.	फिल्म वितरण अधिकारी	-	1	1
2.	फिल्म अधिकारी	2	-	2
3.	फोटो अधिकारी	-	2	2
4.	फिल्म पुस्तकायलाध्यक्ष	1	-	1
5.	न्यूजरील कैमरामैन	4	8	12
6.	फोटोग्राफर	5	7	12
7.	फोटो आर्टिस्ट	1	-	1
8.	फिल्म सूचीकार	1	-	1
9.	फोटो सूचीकार	1	-	1
10.	न्यूजरील कैमरामैन	-	12	12
11.	प्रयोगशाला प्रभारी	1	1	2
12.	ब्रामाइड प्रिंटर	2	4	6
13.	प्रयोगशाला सहायक	3	3	6
14.	कैमरा कुली	5	9	14
15.	प्रयोगशाला परिचर	2	4	6
16.	फिल्म निर्माण प्रबन्धक	1	-	1

आज्ञा से,
योगेन्द्र नारायण
प्रमुख सचिव

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com